कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**12.08.15**
बैठक सं.	**52**

दिनांक 14 मई , **2015** को आयोजित **5**1 वें एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक 14 मई , **2015** को आयोजित **5**1 वें एस एल बी सी बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किया
- सभा के द्वारा इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	**2**
बैठक का दिनांक	**12.08.15**
बैठक सं.	**52**

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	बर्तमान स्थिति
3.1.1	**22.03.2002**	<u>भूमि अभिलेखों का अद्यतन**(Updation)** और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम)</u> राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि, **1.** किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख , जो की **R.B.I** के नियमों के तहत अनिवार्य है , बैंकों को उपलब्ध करा सके| **2.** राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, **MSE,**शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके।	(a) 13 जिलों मे भूमि अभिलेख का डिजिटिकरण(अद्यतन के बिना) का कार्य JSAC द्वारा शुरू हो चुका है। शेष जिलों में कंप्यूटरीकरण का कार्य जिला स्तर पर शुरू किया गया। (b) भूमि के अभिलेख का ऑन लाईन म्यूटेशन का कार्य 6 जिला रांची, हजारीबाग,लोहरदगा,दुमका,रामगड एवं बोकारो के 35 सर्कल में शुरू किया गया जा चुका है । (c) SC/ST/OBC आवेदकों की भूमि बंधक रखकर शिक्षा,गृह एवं व्यावसायिक ऋण उपलब्ध करने हेतु CNT Act की धारा-46 एवं SPT Act की धारा-20 में संशोधन हेतु TAC की उप-समिति की अनुशंसा अप्राप्त होने की कारण प्रक्रिया विचाराधीन है |
3.1.2.	**22.03.2005**	**<u>पी डी आर अधिनियम में संशोधन</u> - राज्य सरकार के द्वारा , एम पी और यू पी रिकवरी अधिनियम के तर्ज पर, जरुरी संशोधन करने की प्रस्ताव थी , जिस के अनुसार बैंकों के द्वारा अपफ्रॉन्ट कोर्ट फीस के भुगतान न कर , रिकवरी की राशि से ही कोर्ट फी का भुगतान करना था एवं रिकवरी अधिकारी को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के संशोधित प्राबधान लागु करने की प्रस्ताव थी|**	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (झारखण्ड सरकार अधिसूचना संख्या 127 दिनांक 16.02.2013 के तहत 25% कोर्ट फीस का अपफ्रॉन्ट भुगतान, एवं शेष 75% का Case निष्पादन के बाद भुगतान करने के लिए अधिनियम की धारा 5 में बदलाव किया है)।जो प्रस्ताव से भिन्न है| **<u>कुछ जिलों में उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार भी कार्रवाई नही हो रही है। राज्य सरकार से आशा किया जाता है कि इस मामले में जिला स्तर के अधिकारियों को अधिसूचना के अनुदेशों का अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-</u>**

			<u>निर्देश जारी किया जाए।</u>
3.1.4.	**20.03.2009**	**" बिहार मनी लेन्डर एक्ट 1974 एवं नियम " जो झारखण्ड में लागू है, में संशोधन** **46 वें बैठक में तय समय सीमा - 01 माह बिहार में लागू अधिनियम की प्रति झारखण्ड सरकार को समिति द्वारा प्रदान किया गया है।**	RBI की तकनीकी ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर Advocate General से परामर्श लिया गया, जिसमे उन्होंने एक Expert Panel जिनकी इस विषय पर expertise प्राप्त हो, का गठन का परामर्श दिया है| उक्त परामर्श के आलोक में कार्यवाही, विभाग द्वारा विचाराधीन है ।
3.1.5.	**29.09.2010**	**राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना ।**	Dedicated Certificate Officer के रूप में अवकाश प्राप्त अधिकारीयों की नियुक्ति हेतु "लोक मांग वसूली अधिनियम विधेयक" में उपयुक्त सशोधन हेतु मंत्रीपरिषद द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है, विधानसभा की अगले सत्र में इसे उपस्थापित की जाएगी|
3.1.6.	**19.02.2002**	राज्य में बैंक के खजाने का रक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था **46वें बैठक में तय की गई समय सीमा - 02 माह**	राज्य सरकार के महानिरीक्षक - परिचालन ने दिनांक 3.06.2014 को एस आई एस एफ की तैनाती हेतु मॉडलिटिज पर वस्तृत चर्चा के लिए बैठक बुलाया । बैठक में प्रत्यासित तैनाती हेतु जवानों की संख्या के अनुसार मासिक प्रभार की सूचना बैंकों को दे दी गई है। इसकी सूचान आर बी आई के इश्यू विभाग को भी दिया गया है। बैंकर्स ने दिनांक 28.07.2014 को आयोजित बैठक में मुद्रा - तिजोरी में एस आई एस एफ के लिए लागू प्रभार हेतु अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। इस संबंध में पत्र महानिरीक्षक - परिचालन को दिया गया है। महानिरीक्षक - परिचालन ने उपरोक्त कार्य में नियुक्त एस आई एस एफ के कर्मचारियों को आवास,आतिथ्य,चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, परेड मैदान आदि सुविधा प्रदान किये जाने का अनुरोध किया । इन शर्तों को लागु कर पाना बैंकों के लिए कठिन और महंगा है, अत: इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के इश्यू विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

3.1.7.	**01.12.2008**	**आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन** .	➢ **भूमि आवंटित नही किया गया - पाकुर** ➢ **आवंटित भूमि पर गांव वालों द्वारा बिरोध किया गया - गोड्डा,सिंहभूम (प)** **(आरसेटी हेतु भूमि का आवंटन का विवरण एवं भवन निर्माण का विवरण संलग्न है।)**
3.1.8	**9.05.13**	**नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना।**	योजना एवं विकास विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तर की समिति गठित की गई है । समिति ने यह रिपोर्ट दिया है कि झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की अनुमति नही देता है। ड्राफ्ट उपविधियां तैयार होने की प्रक्रिया में है।
3.1.9	**27.05.14**	रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय,, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन।	**झारखंड सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक व नाबार्ड के कार्यालयों हेतु भूमि आवंटित किया गया ।** **झारखंड सरकार के द्वारा , उपायुक्त , रांची को,SLBC व BOI की संयुक्त प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने की आदेश पारित किया गया ।**

<u>बैंक से संबधित मामले **Issues Pertaining To Banks**</u>

क्रं.स.	**से लंबित**	**मामले**	**बर्तमान स्थिति**
3.1.11	**2013**	**आरसेटी भवन का निर्माण कार्य बीओआई, भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पीएनबी, केनरा बैंक द्वारा शुरू नही किया गया है।** **संलग्नक सं. 12 (डी) में लम्बित विवरणी संलग्न है।**	बोकारो,गिरिडीह,कोडरमा,देवघर,सिमडेगा ,लोहरदगा,गुमला और सिंहभूम (पूर्व) धनबाद,खूंटी,चतरा में भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है| गड़वा, गिरिडीह में जमीन पर Boundary Wall का कार्य पूरा हो गया है ।
	मई 2015	**RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES का बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना ।**	बैंकों के द्वारा कुल 1698 कैंडिडेट्स को ऋण उपलब्ध करवाया गया ।

कार्यसूची सं.	**3**
बैठक दिनांक	**12.08.15**
बैठक सं.	**52**

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक (KEY INDICATORS)

30 जून , **2015** को मुख्य कारोबार पैरामीटर्स के तहत समग्र स्थिति:

(Rs. in crore)

क्र.स.	विषय	30.06.2014	31.03.2015	30.06.2015	बेंच मार्क
1	**जमाएं**	121331.13	139956.08	141421.81	
2	**क्रेडिट**	59047.69	65842.38	66261.20	
3	**उपयोग के स्थान * & आरआईडीएफ** के अनुसार क्रेडिट**	12193.97	20244.39	20339.04	
4	**कुल क्रेडिट**	71241.66	86086.77	86600.24	
5	**सी डी अनुपात** (%)	58.72	61.51	61.24	60
6	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम**	42089.68	33736.07	33710.73	
7	**कुल अग्रिम में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पी एस ए) का हिस्सा** (%)	71.28	51.23	50.87	40
8	**कृषि अग्रिम**	10485.74	11745.67	11780.34	
9	**कुल अग्रिम में कृषि ऋण (पी एस ए) का हिस्सा** (%)	17.75	17.83	17.78	18
10	i. **सुक्ष्म एवं लघु उद्यम के क्षेत्र का अग्रिम**	23203.22	13120.50	12945.03	
	ii.**कुल अग्रिम में सुक्ष्म एवं लघु उद्योग का हिस्सा** (%)	39.29	19.92%	19.53%	
11	**एम एस ई में माईक्रो इन्टरप्राईज का हिस्सा**	31.84	51.22%	52.84%	
12	**कमजोर वर्ग को अग्रिम**	10105.46	11361.01	11558.59	
13	**कुल अग्रिम में कमजोर वर्ग को प्रदत्त अग्रिम** (%)	17.11	17.25%	17.44%	10
14	**डी आर आई अग्रिम**	26.66	29.55	29.00	
15	**कुल अग्रिम में डी आर आई अग्रिम का हिस्सा** (%)	0.05	0.04%	0.04	1
16	**महिला को प्रदत्त अग्रिम**	10998.89	13200.38	12234.64	
17	**कुल अग्रिम में महिला को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा (एन एन बी सी)**(ANBC) (%)	18.63	20.05	18.46	5
18	**अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम (राशि)**	4320.28	4869.83	4976.72	

19	**पी एस सी के तहत्त अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अग्रिम का हिस्सा** (%)	10.26	14.43%	14.76%	15
20	**एन पी ए**	3556.19	3680.70	3957.46	
	सकल ऋण का प्रतिशत	6.02	5.59	5.97	
21	**शाखा नेटवर्क (सं.)** - **ग्रामीण**	1353	1429	1429	
	अर्द्धशहरी	695	720	720	
	शहरी	635	650	652	
	कुल	2683	2799	2801	
22	**झारखंड में स्थापित एटीएम**	2338	2608	2638	

*__परिशिष्ट__ - ,** __संलग्नक सं.__ -. __परिशिष्ट__ - __के अनुसार__, __परिशिष्ट__ - ,__परिशिष्ट__ -I, __परिशिष्ट__ –

बैंकों के द्वारा दिया जा रहा आनुसांगिक सेवाएँ ,			
1	**आरसेटी एवं रूडसेटी**	**आरसेटी**	24
		रूडसेटी	1
2.	**वित्तीय साक्षरता केन्द्र**	**कमर्शिअल बैंक**	326
		ग्रामीण बैंक	251
3.	**PMJDY के अंतर्गत SSA में बैंकिंग सेवा का प्राबधान**	**बैंकिंग सेवा से आच्छादित** SSA	4153
		माइक्रो ऐ.टी.एम्	2856

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमाओं में **रूपये.20090.68** करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई । 30 जून , 2015 तक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 16.56 प्रतिशत दर्ज की गई है|

ऋण वृद्धि

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में **रूपये** 7213.51 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई । 30 जून, 2015 तक वर्ष-दर वर्ष वृद्धि 12.22 प्रतिशत दर्ज की गई है ।

क्रेडिट - जमा अनुपात (C.D Ratio)

बैंकों का सीडी अनुपात 58.72 % से , पिछले एक साल मे बढ़ कर, 61.24 % हुआ है|

(**30 जून , 2014 से 30 जून,2015 तक**).

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **30 जून, 2015** को रू. 8378.95 करोड़ (19.91 प्रतिशत) का नकारात्मक वृद्धि दर्ज किया गया है। यह एस बी आई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में रू. 10796.04 करोड़ वर्ष-दर-वर्ष का तेज गिरावट के कारण हुआ है। हालांकि, समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 50.87 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

कृषि अग्रिमAgriculture Credit

30 जून, 2015 को कृषि अग्रिम रू. 11780.34 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 17.78 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में कुल रू. 1294.60 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.34 प्रतिशत की वृद्धि है।

कमजोर वर्ग Weaker Section

झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 11558.59 करोड़ (17.44 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

महिलाओं को ऋण Advance to Women

30 जून, 2015 तक महिलाओं को रूपये 12234.64 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें वर्ष -दर- वर्ष आधार पर रूपये 1235.75 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई है | जो की लगभग 11.23% वृद्धि है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण Advance to Minority Community

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 4320.28 करोड़ से, पिछले एक साल मे बढ़ कर रूपये 4976.72 करोड़ रूपये हो गया है । इसमें वर्ष -दर -वर्ष आधार पर 15.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 14.76 % है , जो मानक 15 प्रतिशत के आस पास है |

30 जून ,2015 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15 **, दिनांक** 1.07.14 **के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर (एस एल बी सी) उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।**

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण -जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs **in crore)**

विवरण		**30 जून ,2014**	**30 जून ,2015**	
जमा		**121331.13**	**141421.81**	
कोर अग्रिम	**59047.69**		**66261.20**	
उपयोग के अनुसार	**9327.40**		**17040.92**	
आर आई डी एफ	**2866.57**		**3298.12**	
कुल अग्रिम	**71241.66**		**86600.24**	
ऋण-जमा अनुपात		**58.72%**	**61.23%**	

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण - जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

कार्यसूची सं.	**4**
बैठक का दिनांक	**12.08.15**
बैठक संख्या	**52**

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत्त :
उपलब्धियों की समीक्षा : 30 जून , 2015 तक

समग्र स्थिति

30 जून , 2015 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

सेक्टर	**वार्षिक लक्ष्य (2014-15)**	**30.06.14 तक उपलब्धि**		**वार्षिक लक्ष्य (2015-16)**	**30.06.15 तक उपलब्धि**	
	राशि	**राशि**	**%**	**राशि**	**राशि**	**%**
1	2	3	4	5	6	7
कृषि	**6335.00**	696.52	10.99	**7078.38**	1043.54	**14.74**
एम एस ई	**5532.95**	1188.28	21.47	**6130.67**	2976.29	**48.55**
ओ पी एस	**2957.73**	430.82	14.56	**3097.87**	758.07	**24.47**
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का कुल	**14830.68**	2321.62	15.65	**16306.92**	4777.90	**29.30**
गैर प्राथमिकता प्राप्त का कुल	**9689.48**	2584.69	26.67	**10616.76**	5215.10	**49.12**
कुल	**24520.16**	**4906.31**	**20.00**	**26923.68**	**9993.00**	**37.12**

वार्षिक ऋण योजना के तहत्त 30 जून ,2015 तक बैंकवार/जिलावार और सेक्टर वार लक्ष्य एवं उपलब्धि, परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

तिसरी तिमाही तक ACP 2014-15 & ACP 2015-16 मे किया गया संवितरण का तुलनात्मक विवरण

सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2014-15 के जून तक किया गया संवितरण	वित्तीय वर्ष 2015-16 के जून तक किया गया संवितरण	वित्तीय वर्ष 2014-15 व 2015-16 के जून तिमाही तक किये गये संवितरण में तुलनात्मक वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि % INCREASE
1	2	3	**4**	**5**
कृषि	696.52	1043.54	**347.02**	**49.82**
एम एस ई	1188.28	2976.29	**1788.01**	**150.47**
ओ पी एस	430.82	758.07	**327.25**	**75.96**
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	2321.62	4777.90	**2456.28**	**105.80**
कुल गैर प्राथमिकता क्षेत्र	2584.69	5215.10	**2630.41**	**101.76**
कुल	**4906.31**	**9993.00**	**5086.69**	**103.67**

टिप्पणियां :

- **वार्षिक ऋण योजना 2015-16 के तहत, जून तिमाही तक, 2014-15 की तुलना में, सभी ऋण के संवितरण में काफी बृद्धि हुई है। यह उत्साहवर्धक बिषय है।**
- **कृषि क्षेत्र में , पहली तिमाही में ही, Rs. 1043.54 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण अत्यधिक उत्साहजनक है। यह स्पष्ट है कि कृषि के लिए एसएलबीसी की उप समिति द्वारा अपनाई गए उपाय प्रभावी एवं सार्थक साबित हुआ है एवं इसके सुपरिणाम प्राप्त होने लगे है।**

- **<u>कृषि क्षेत्र में Rs.7078.38 करोड़ रुपए का लक्ष्य, इस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिए गए Rs.8.50 लाख करोड़ का राष्ट्रीय लक्ष्य की झारखंड राज्य की हिस्सेदारी, जो की रु 5240.00 करोड़ है ,से ज्यादा है |</u>**
- झारखंड राज्य के बैंकों को राज्य के बाहर मंजूर क्रेडिट सीमा लेकिन झारखंड के अंदर भीतर उपयोग किया जा रहा हो, को राज्य में स्थित शाखाओं को इयरमार्क करने के लिए अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करना चाहिए
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए कम ऋण का संवितरण चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यक्षेत्र की focussed area है ।

- मौजूदा भूमि अभिलेख की अन-उपलब्धता, भूमि बंधक के कड़े नियम, फसल बीमा का सीमित समय तक की उपलब्धता और वो भी चयनित फसलों के लिए, साथ-साथ सुरक्षा का बर्तमान माहौल एवं वसूली का वातावरण , कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण में बाधक साबित हो रहा है।

कार्यसूची सं.	**5**
बैठक का दिनांक	**12.08.15**
बैठक संख्या	**52**

5. REVIEW OF LENDING ऋण का समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें केसीसी योजना भी शामिल है

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख रू. 11780.34 करोड़ है जो सकल ऋण का 17.78% है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 18 प्रतिशत के लगभग बराबर है। हालांकि यह प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। सभी हितधारकों , राज्य सरकार, बैंक, नाबार्ड और अन्य एजेन्सी इस ओर फोकस होने के कारण इस क्षेत्र में संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे है।

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति STATUS OF KCC IN JHARKHAND

(Amt. In Crores)

बैंको की श्रेणि	Disbursement During 15-16		Outstanding In KCC Accounts AS OF 30.06.15		Out of Total K.C.C at the end of Reporting Quarter (Standard Asset)	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
सार्वजिन क्षेत्र के बैंक	104386	229.11	1209332	3724.60	915493	2868.69
निजी बैंक	1733	14.48	6857	65.98	1707	13.99
कुल	106119	243.59	1216189	3790.58	917200	2882.68
आर आर बी	21549	71.92	363024	856.53	92177	230.65
कॉपरेटिव बैंक	3974	6.19	19504	31.15	19504	31.15
कुल ।	131642	321.70	1598717	4678.26	1028881	3144.48

रूपये क्रेडिट कार्ड **RuPay Credit Card**

सभी सामान्य के सी सी खातॉ को दि : 31.03.2013 तक Smart K.C.C खातॉ मे परिवर्तित कर उन खातों मे आबश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था ,ताकि यह ए टी एम एवं पी ओ एस में भी कार्य कर सके। यह पाया गया है कि समस्त के सी सी धारकों को एक या अन्य कारणों से रूपये कार्ड जारी नही किया गया है। अब तक कुल 451724 रूपये कार्ड जारी किया गया है। (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है) सभी के सी सी लाभुकों को रूपये कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

.

5.2. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उध्यमों का बित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु उध्यमों का वित्त पोषण (एम एस ई) (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र)

(Accounts in Lacs) **(Amt. in crore)**

Sl. No.	Particular			Outstanding position as at the end of	
				JUNE'2014	JUNE'2015
(1)	(2)			(3)	(4)
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**2.51**	**2.30**
			Amount	**7387.65**	**6839.77**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.56	0.40
			Amount	2315.27	1585.08
	b.	Service Sector	Accounts	1.95	1.90
			Amount	5072.38	5254.69
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**2.61**	**0.93**
			Amount	**15815.57**	**6105.25**
	a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.75	0.31
			Amount	8472.70	2688.97
	b.	Service Sector	Accounts	1.86	0.62
			Amount	7342.87	3416.28
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**5.12**	**3.23**
			Amount	**23203.22**	**12945.02**
4	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation :60%)	31.84	**52.84**
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	39.29	**19.53**

Credit Flow to Medium ENTERPRISES (Non Priority Sector):

(**Amounts in Crore)**

Sl. No.	Particular		Outstanding position as at the end of	
			JUNE '14	JUNE'15
(1)	(2)		(3)	(4)
a.	Manufacturing Sector	Accounts	0.12	0.03
		Amount	1058.95	844.18
b.	Service Sector	Accounts	0.83	0.26
		Amount	553.22	459.94
c.	**Total of Medium Enterprises**	**Accounts**	**0.95**	**0.29**
		Amount	**1612.17**	**1304.12**

COVERAGE UNDER CGTMSE(Collateral Free Loans Upto RS. 1.00 Crore in MSME)

(A/C in 000,Amt.in Cr.)

MSE up to Rs. 1.00 Crore						Coverage under CGTMSE					
MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL		MANUFACTURING		SERVICE		TOTAL	
A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	A/C	A/C	Amt.	A/C	Amt.	A/C	Amt.
51	2441	174	4860	225	7301	12	529	37	1393	49	1922

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों-के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध **दिसम्बर** 2014, मे 52.84 %है।
- **एम एस एम ई क्षेत्र में ऋण वितरण का राज्य में विशाल स्कोप है क्योंकि यह राज्य औद्योगिक रूप से धनी होने के साथ -साथ यहां सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई कंपनियां संचालित है। यहां खान खनिज एवं कोयला आदि का भारी संपदा है। इनके लिए उचित एन्सियलरी उद्योग को स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य में एम एस एम ई के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए।**
- यह पाया गया है कि झारखण्ड में प्रयोग किये जाने वाले वस्तुओं का निर्यात क्रेडिट कोलकाता, मुम्बई आदि जगहों पर अवस्थित बैंक शाखाओं द्वारा किया जाता है स्थानीय शाखाओं को भी उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के उद्येश्य से निर्यात क्रेडिट हेतु सशक्त करना चाहिए।
- झारखण्ड राज्य मे, 1 करोड़ के सीमा के अंदर कुल 225000 MSE ऋण खातें हैं,परंतू इनमे से केवल 49000 ऋण खातों में, यानी की सिर्फ 22% खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया गया है |

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 30.06.14	As on 30.06.15				Total As on 30.06.15	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURESEMENT MADE DURING AFY 2015-16 in ACP 15-16
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Account	59633	59226	167	900	3	60296	663	5588
Amount (In crore)	2034.86	2142.30	3.90	24.48	0.10	2170.78	135.92	167.20

- उपरुक्त आंकड़ों का विश्लेषण से यह पत्ता चलता है कि राज्य के बैंकों के शिक्षा ऋण की संवितरण आशानुरूप नहीं है | पिछले कई एक SLBC बैठकों में इस विषय पर चिंता व्यक्त किया जा रहा है , परंतु इसके वावयुद आंकडों में कोई भी सूधार परिलिक्षित नहीं हो रही है | पिछले साल की जून तिमाही में कुल 7301 शिक्षा ऋण की संवितरण की गई थी, जबकि इस वित्तीय वर्ष, 2015-16 में जून तिमाही तक सिर्फ 5588 शिक्षा ऋण की संवितरण हुई है , यह एक चिंताजनक विषय है | उपस्थित, RBI के क्षेत्रीय निदेशक एवं बैंकों के सभी नियंत्रक प्रमुखों से यह आग्रह किया जा रहा है की, वें इस विषय पर गहन विचार के उपरांत सही निर्णय लें, ताकि भविष्य में शिक्षा ऋण की संवितरण में सुधर नज़र आये |
- निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अब तक सिर्फ 167 शिक्षा ऋण दी गई, एवं उनके द्वारा इस ऋण में रूचि की अभाव दिख रही है |**निजी क्षेत्र के सभी बेंकों के नियंत्रक प्रमुखों को इस विषय पर विशेष ध्यान देने हेतु सुझाव दिया जा रहा है ।**
- शिक्षा ऋण देश के मानव पूंजी के विकास के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाता है। देश के भविष्य एवं आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- झारखंड से प्रति वर्ष छात्र बड़ी संख्या में देश के विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश पा रहे है। राज्य के बैंकों से शिक्षा ऋण की स्वीकृति में और बेहतर भूमिका| निभाने की अपेक्षा है
- इसके अलावा राज्य रोजगार के अवसर प्राप्ति हेतु युवाओं के कौशल विकास के लिए ऋण प्रदान करने का सुविधा प्रदान करता है।.

5 4.आवास ऋण

Performance of Banks under Housing loan Scheme

आवास ऋण योजना के तहत बैंकों के प्रदर्शन

(Amt.in Crore करोड़ में राशि)

Particulars पर्टिक्यूलर	30.06.14 तक	30.06.2015 तक				30.06.15 तक कुल	गृह ऋण में वर्ष वार- बडॉतरि	ACP 15-16 के दौरान दिया गया संवितरण
		Public Sector Banks सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	Private Sector Bank sनिजी क्षेत्र के बैंक	RRB आर .आर. बी	Co op. Banks सहकारी क्षेत्र के बैंक			
No. of Account खाता की सं.	63340	58262	5233	515	4	64015	675	6589
Amount राशि(In croreकरोड़ में)	4269.51	4166.52	419.69	26.43	0.84	4613.48	343.97	516.32

इस क्षेत्र में विकास के लिए और अवसर है । राज्य अपार्टमेंट एक्ट का सक्षम रुप से अनुपालन अभाव एवं ,नगर पालिका के स्तर से नीचे स्थानों में निर्माण योजना के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित की गयी अधिसूचना की अनुपलब्धता ईत्यादि इस क्षेत्र के विकास , मे बाधक है ।

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS)ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतुअ ऋण प्रवाह(

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

30 जून , 2015 तक स्थिति निम्न है:

(Rs. in Croreकरोड़ में रूपया))

30 जून , 2014		%	30 जून , 2015		अल्पसंख्यक का शेयर
पी.एस.सी	अल्पसंख्यक समुदाय		पी.एस.सी	अल्पसंख्यक समुदाय	
42089.68	4320.28	10.26	33710.72	4976.72	14.76

अल्पसंख्यक समुदायों हेतु अग्रिम **30 जून , 2015** तक 14.76 % है जो कि 15 % बेंच मार्क के नीचे है | परंतु **30 जून , 2014** के 10.26 % से बढ़कर यह 14.76 % हो गया है।

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 जून , 2015 की तुलनात्मक स्थिति को नीचे दिया गया है) :रु .करोड़ में(

30 जून , 2014		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN महिलों के लिए क्रेडिट का प्रतिशत	30 जून , 2015		Target of lending to Women (%) महिलाओं के लिए लेंडिंग का लक्ष्य
Gross Credit सकल क्रेडिट	Of which to Women महिलाओं के लिए		Gross Credit सकल क्रेडिट	Of which to Women महिलाओं के लिए	5% of NBC एनबीसी का 5 %
59047.69	10998.89	18.63	66261.20	12234.64	18.46

6.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(

31 मार्च , 2015 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(Rs. in Crore करोड़ में रू.)

30 जून , 2014		30 जून , 2015		**नेट क्रेडिट मे DRI का प्रतिशत**
सकल क्रेडिट	**जिसमे DRI**	**सकल क्रेडिट**	**जिसमे DRI**	
59047.69	**10998.89**	**66261.20**	**29**	**0.04 %**

.डी.आर.आई अग्रिम को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम:

डी.आर.आई के तहत विभिन्न बैंकों की भागीदारी धीरे-धीरे कम हो रही है ।.बैंकों को डीआरआई योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के वित्तपोषण के लिए छोटे गतिविधियों जैसे सब्जी विक्रेताओं, रिक्शा चालक,, छोटी स्ट्रीट विक्रेताओं, हॉकरों आदि की ऋण उपलब्ध करवाने की पहल करनी चाहिए । "प्रधान मंत्री जन धन योजना ", इस दिशा मे व्यापक स्कोप प्रदान करता है और समाज के इन दलित अनुभाग के लिए अग्रिम बनाने हेतु तैयार ग्राहकों को प्रदान करता है।

SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

30 जून , 2015 समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति को नीचे दिया गया है- :

(करोड़ में रू.)

30 जून , 2014		कुल ऋण का प्रतिशत	30 जून , 2015		कुल ऋण का प्रतिशत
कुल ऋण	SC/ST को दिया गया ऋण.		कुल ऋण्	SC/ST को दिया गया ऋण.	
59047.69	9784.55	16.57	66261.20	10852.35	16.38

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

31.03.2015 तक झारखंड राज्य के एलडब्लूई प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रगति निम्न्वर्नित है,

(रू करोड़ में)

जिलों की संख्या	18
ब्लाकों की संख्या	210
गैर सरकारी संगठन की संख्या	127
नवगठित डब्लू.एस.एच.जी की संख्या	38400
एसएचजी बचत लिंक्ड की संख्या	23716
एसएचजी ऋण लिंक्ड की संख्या	5128
क्रेडिट संवितरण की राशि।	49.00

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (30 जून , 2015 तक)

30 जून, 2015 ***तक की गई मुख्य प्रगति - संचयी और वार्षिक***

(रू लाख में)

संकेतक Indicators	मार्च,2015 तक की स्थिति	उपलब्धि Achievement (2014-15) in May-June'15	शुरुआत से अब तक संचयी उपलब्धि Cumulative achievement till date since Inception
शामिल प्रखंडों की संख्या	40	0	40
शामिल गावों की संख्या	2312	254	2566
एस आर एल एम समर्थित एस एच जी की कुल संख्या	16945	1948	**18893**
एस आर एल एम समर्थित कुल अनुमानित परिवार	211424	24219	**235643**
एस एच जी की संख्या जिसने आर एफ प्राप्त कर लिया है	831	53	884
संवितरित आर एफ की राशि	1666.20	307.26	1973.46
एस एच जी की संख्या जिसने सी आई एफ प्राप्त कर लिया है	7458	1467	8925
सी आई एफ की संवितरित राशि (लाख रु में)	3783.18	844.85	4628.03
एस एच जी की संख्या जो बैंक से क्रेडिट लिंक्ड है	1808	697	**2505**
बैंक से क्रेडिट लिवरेज्ड की राशि (लाख रु में)	1014.50	348.50	1363

एजेंडा सं.	**6**
बैठक की तिथि	**12.08.15**
बैठक की संख्या	**52**

6. FINACIAL INCLUSION
वित्तीय समावेशन

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. **बी.सी (बैंक मित्रा) द्वारा एसएसए के कवरेज की स्थिति**

एसएसए की कुल संख्या	बी.सी द्वारा एसएसए का कवर (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा एसएसए कवर	अनकवर्ड
4175	**3533**	**620**	**22***

- अनकवर्ड 22 SSA यूको बैंक - 16 , इंडियन बैंक - 6 को आवंटित है.

C. **. पीएमजीडीवाइ के तहत खोले गए बीएसबीडी खातों की स्थिति ।**

30.06.15 तक खोले गए बीएसबीडी खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल		
2406461	**1603372**	**4009833**	**2995243**	**2402060**

" प्रधानमंत्री मंत्री जन-धन योजना "(PMJDY) में ध्यानकर्षण योग्य बिंदु ,

1. यद्यपि कुल 4175 SSA में से 4153 SSA बैंकिंग सेवा से आच्छादित किया जा चूका है , परन्तु कुछ SSAकी औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की , कुछ SSA में पदस्थापित BC/BCA द्वारा समुचित सेवा नहीं दी जा रही है | मिशन डायरेक्टर , PMJDY द्वारा इस बात पर चिंता प्रकट किया गया और दिनांक : 28.07.15 को बुलाया गया एक बैठक में ,जिसमे सभी मुख्य बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित थें,यह निर्णय लिया गया कि ,
   i. सभी SSA में पदस्थापित , बैंक-मित्रों का सुचारू संचालन के जिम्मेदारी, आवंटित बैंक की नियंत्रक कार्यालय की होगी|
   ii. नियंत्रक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगी की - प्रतिदिन प्रति बैंक मित्रों का औसत लेन-देन की संख्या न्यूनतम 50 हो|
   iii. सभी बैंकों के नियंत्रक कार्यालय,प्रतिमाह सभी बैंक मित्रों का लेन-देन का ब्यौरा, निहित प्रपत्र में ,जो की सभी बैंकों को उपलब्ध करवाया जा चूका है , DBT सेल , झारखंड सरकार को, उपलब्ध करवाएगी |
   iv. सभी बैंक शाखाओं के शाखा प्रवंधक, प्रति माह,अपने शाखा से संवंधित बैंक-मित्रों का निरीक्षण के उपरांत, निहित प्रपत्रों में , नियंत्रक कार्यालय को , निरीक्षण-रिपोर्ट जमा करेंगे |
   v. उपरुक्त निरीक्षण-रिपोर्ट के एक प्रति BLBC को शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा,जिसके आधार पर BLBC बैंक मित्रों के कार्यों का Monitoring करेगी |
   vi. सभी बैंक शाखाओं में, ग्राहंकों को बैंक मित्रों से लेन-देन हेतु प्रेरित करने के लिए एक "सुचना" प्रदर्शित की जाएगी|
2. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक पास-बुक जारी नहीं किया गया , सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में पास-बुक जारी करना सुनिश्चित करें|
3. यद्यपि पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया खातों में अब तक कुल 2995243 रुपे कार्ड जारी किया गया , परन्तु औचक निरिक्षण के दौरान यह पता चल रहा है की बहुत से रुपे कार्ड अब तक अवितरित है एवं कुछ रुपे कार्ड अब तक Activated नहीं किया जा चूका है | सभी बैंको से यह आग्रह है की वे जल्द से जल्द सभी खातों में रुपे कार्ड का Activation सुनिश्चित करें , एवं साथ ही बिभिन्न शाखाओं एवं एफ.एल.सी केन्द्रों के द्वारा ग्राहोकों को रूपए कार्ड के ब्यबहार के प्रति जागरूक करें|
4. सभी लोगों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना , पीएमजीडीवाइ योजना के एक मुख्य लख्य है, सभी बैंकों से यह आग्रह है की , R.B.I दिशानिर्देश के अनुसार सभी ग्रामीण शाखाओं में , प्रत्येक सप्ताह, एक वित्तीय साक्षरता शिबिर का आयोजन सुनिश्चित करें |
5. SSA में स्थापित Fixed Location BC/BCA को समय पर पारिश्रमिक- प्रदान , उन केन्द्रों का सफल सञ्चालन का एक मुख्य पहलु है|इस विषय पर SLIC बैठक में यह निर्णय लिया जा चूका है की,BC कमीशन के 80%, सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी,जबकि बांकी 20% CSC Agent की खाते

में जायेगी| सभी बैंकों से यह आग्रह है की, उपरुक्त फार्मूला के तहत, CSC एजेंटों द्वारा नियोजित Fixed Location BC/BCA को समय पर यथायोग्य पारिश्रमिक- प्रदान करना सुनिश्चित करें|

6. पीएमजीडीवाइ योजना के तहत खोला गया कुछ खातों में अब तक Aadhar Number Seeding नहीं हुया है | इन खातों को एवं साथ ही सभी खातों में Aadhar Number Seeding सुनिश्चित करें |
7. पीएमजीडीवाइ के तहत स्वावलम्बन योजना (Swavalamban Scheme) , की कार्यान्वयन की आवश्यकता है | सभी बैंकों हे यह आग्रह है की वे इस योजना को लागु करने में रूचि दिखाएँ |

"प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किया गया, बिभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक : 9.05.15 को राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित योजनाएं लागु की गई ,

1. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना.

2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना.

3. अटल पेन्शन योजना.

दिनांक: 17.07.15 तक इन योजनाओं में ग्राहोंकों को संलग्नित करने सभी बैंकों के उपलब्धि निम्नवर्णित है ,

PMJJBY		PMSBY		APY	
योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया	योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया	योजना में संलग्नित लाभुकों की संख्या	Auto Debit द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया गया
302008	293228	1116951	1068731	10227	7877

<u>प्रधान मंत्री जन धन योजना - जन- सुरक्षा स्कीम</u>

प्रधानमंत्री द्वारा लोकापिर्त सामाजिक सुरक्षा स्कीम के तहत तीन योजनाओं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), तथा अटल पेंशन योजना (APY) का लाभ समाज के निम्नतम तबके तक पहुँचाने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे है | ये तीनों योजनाएँ विशेषकर (PMSBY) को लोगों के बीच काफी लोकप्रियता भी मिली है और काफी लोगों ने इन स्कीम मे इनरौलमेंट कराया है |

इन स्कीम को और अधिक लोकप्रिय एवं सरल बनाकर इसका दायरा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने रक्षा बंधन तथा अन्य पर्वो के अवसर पर "सुरक्षा बंधन" स्कीम के तहत 01.08.2015 से बीमा आधारित तीन गिफ्ट प्रोडक्ट जारी करने की घोषणा की है | यथा -

I. सुरक्षा डिपोजिट गिफ्ट चेक़ (SDGC)
II. जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक़ (JSDC)
III. जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक़ (JSGC)

इन स्कीम को लागू कर लाभार्थी की बीमा सुरक्षा लंबे समय तक सुनिश्चित की जा सकती है | बैंक की सभी शाखाओं मे उपयुक्त गिफ्ट उत्पाद आम व्यक्ति के लिए उपलब्ध होंगे | उपयुक्त स्कीम का सारा - संक्षेप निम्न प्रकार है-

1. सुरक्षा डिपॉजिट गिफ्ट चेक़ (सुरक्षा डिपॉजिट स्कीम)- इस स्कीम के तहत रु॰ 201/- खाता धारी द्वारा जमा किए जायेंगे | इसमे से रु॰ 24/- का उपयोग प्रथम दो वर्षों की प्रीमियम राशि (रु॰ 12+ रु॰ 12) का भुगतान करने के लिए किया जायेगा | बाकी बचे रु॰ 177/- को बैंक मे फ़िक्स्ड डिपॉजिट (5 से 10 वर्षों के लिए) के रूप मे रखा जायेगा तथा तीसरे वर्ष एवं इसके बाद का प्रीमियम राशि का भुगतान इस FD पर अर्जित ब्याज से किया जाता रहेगा |
2. उसी प्रकार जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक़ / डिपॉजिट स्कीम के तहत खाताधारी द्वारा रु॰ 5001/- जमा किये जायेंगे | इसमे से रु॰ 684 का उपयोग प्रथम दो वर्षों के PMSBY एवं PMJJBY के प्रीमियम भुगतान (रु॰ 12 + रु॰ 330) प्रति वर्ष के लिए किया जायेगा एवं बाकी बचे रु॰ 4317/- को बैंक मे फ़िक्स्ड डिपॉजिट के रूप मे रखा जायेगा | इस पर अर्जित ब्याज की राशि से PMSBY एवं PMJJBY के प्रीमियम का भुगतान तीसरे वर्ष एवं इसके उपरांत किया जाता रहेगा |
3. जीवन सुरक्षा सिफ्ट चेक़ (रु॰351) :-- यह उत्पाद बैंक के पास उपलब्ध होंगे तथा कोई भी व्यक्ति इसे खरीद कर किसी को गिफ्ट कर सकता है | इसका उपयोग PMSBY एवं PMJJBY की प्रीमियम राशि के भुगतान हेतु किया जा सकता है | रु॰ 351 मे से (रु॰ 12 + रु॰ 330) का उपयोग PMSBY एवं PMJJBY के अंतर्गत बीमा प्रीमियम राशि के लिए किया जायेगा तथा बाकी बचे रु॰ 9/- (अधिकतम) बैंकों के सेवा- शुल्क के रूप मे प्राप्त होंगे|

इस प्रकार उपयुक्त स्कीम द्वारा लंबे समय तक खाताधारक की बीमा राशि की प्रीमियम का भुगतान सुनिश्चित एवं स्वीकृत करने का प्रयास किया गया है |

कार्यसूची सं	**7**
बैठक का दिनांक	**12.08.15**
बैठक सं	**52**

<u>एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय</u>

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दी 30 जून , 2015 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	**30.06.14**	**30.06.15**	**Y-TO-Y Growth**	**% Growth**
सकल अग्रिम	59047.69	66261.20	7213.51	12.22
सकल एन पी ए	3556.19	3957.46	401.27	11.28
सकल अग्रिम प्रतिशत में	***6.02***	***5.97***		

नोट : उपरोक्त राशि में रिटेन ऑफ (Written-Off) की राशि शामिल नही है।

i. **झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय अस्ति (N.P.A) , एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है | यद्दपि वर्ष-दर-वर्ष NPA में 0.05% की मामूली गिरावट नजर आती है, परंतू रु 401.27 करोड़ का NPA, जो की सकल अग्रिम का 5.97% है , एक चिंताजनक आंकड़ा है एवं RBI द्वारा निर्धारित मानक से काफी ज्यादा है |**
ii. **ज्यादा NPA बैंकों की नई ऋण-संवितरण में एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है एवं राज्य के अंदर नई ऋण की स्वीकृति में एक शंका का वातावरण का कारण बन रही है|**
iii. **NPA एवं उससे संवंधित PROVISIONING बैंकों की CAPITAL BASE पर प्रतिकूल असर डाल रही है |**
iv. **RBI, सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार को मिलकर इस समस्या की एक कारगर निदान निकालने की आवश्यकता है , बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागीओं से इस विषय पर चर्चा एवं सुझाव का अनुरोध किया जा रहा है |**

सर्टिफिकेट केस का बैंकवार स्थिति

राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

बैंक	**30.06.14**		**30.06.15**	
	सं	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
वाणिज्यिक बैंक	103141	365.12	106849	364.82
आर आर बी	7836	8.75	5767	17.93
कुल	**110977**	**373.87**	**112616**	**382.75**

सर्टिफिकेट केस की तिमाही निपटान की स्थिति निम्नवत है

[राशि करोड़ में]

बैंक	**30.06.15**	
	संख्या	**राशि**
वाणिज्यिक बैंक	117	1.06
आर आर बी	622	1.34
कुल	**739**	2.40
	कुल 112616 मामलों में से	

DRT केस की स्थिति

दिनांक 30 जून , 2015तक बैंकों के डी आर टी के की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

जून 2014 की स्थिति		**जून,201 5 तिमाही में दाखिल किया गया केस**		**जून,201 5 तिमाही में निष्पादित डी आर टी के केस**		**जून, 15 की स्थिति**	
सं	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**	**सं**	**राशि**
1581	585.68	144	16.27	26	4.11	1905	653.47

कार्यसूची सं	**8**
बैठक का दिनांक	**12.08.15**
बैठक सं	**52**

30.06.15 को सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम

9.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

दिनांक 30 जून , 2015 तक समग्र स्थिति

(राशि करोड़ में)

लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन		संवितरित		REJECTED	लंबित
1	2	3	4	5	6	7	8
2152	3367	3296	21.60	3591	36.52	130	1011

- **वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सबसिडी प्राप्त करने की तिथि 31.05.2015 तक बढ़ा दिया गया था। इसके कारण से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान का प्राप्त कुछ आवेदनों को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत किया गया है।**
- पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों का ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट नहीं किया है। बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय से संपर्क कर इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए।

कार्यक्रम संख्या	**9**
बैठक की तारीख	**12.08.2015**
बैठक संख्या	**52**

10. RSETI & FLC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है :

(**as of** 30.06.15 **)**

झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , बिभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं **|**

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले

एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में कानारा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित**)** **1** जिला

- स्वतंत्र निदेशकों की पोस्टिंग :
  स्वतंत्र निदेशकों पदभार ग्रहण किया — 24 केन्द्रों में
  (1 RSETI में स्वतंत्र निर्देशक पदस्थापित नही है)
- <u>आरसेटी के लिए परिसर की स्थिति निम्न है</u> :
  किराए के परिसर — 7 केन्द्रों में
  सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी परिसर (अस्थायी) — 18 केन्द्रों में
- भूमि आवंटन की स्थिति
  भूमि आवंटित — **24** केन्द्रों में
  भूमि अआवंटित* — **1 केन्द्रों**
  ***01 (पाकुर)**

- भूमि स्थानांतरण की स्थिति
  भूमि स्थानांतरित- 22
- एम.ओ.आर.डी. दावा प्राप्ति की स्थिति : **22**

<u>निदेशकों का प्रशिक्षण</u>:

निदेशकों की संख्या जिन्होंने *टीटीपी प्रशिक्षण प्राप्त* किया 21 निदेशक

निदेशकों की संख्या जिन्होंने टीटीपी *प्रशिक्षण प्राप्त* नही किया - 4 निदेशक

उपर्युक्त आरसेटी के कामकाज स्थिति निम्न प्रकार है :

.1नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित - 24केन्द्रों में

जून , 15 तिमाही के दौरान RSETI द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

<u>AFY 14-15 का वार्षिक लक्ष्य</u> :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 659

Trainees की संख्या - 19720

जून 2015 तिमाही में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संख्या - 150

Trainees की संख्या - 4341

<u>RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति</u> ,

भवन निर्माण कार्य प्रारंभ - 13

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संवन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2014-15 के दौरान		AFY 2015-16 के दौरान	
कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित	कुल प्रशिक्षार्थी	बैंकों से वित्तीय संवन्धता स्थापित
15978	1532	4186	166

नोट :

51वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था की सभी इच्छुक RSETI प्रशिक्षार्थीयों को अनिवार्य रूप से,उनके सेवा क्षेत्र के बैंक शाखाओं के द्वारा CREDIT LINKAGE स्थापित की जाएगी | RSETI निदेशकों के द्वारा बैंकों की संवंधित

शाखाओं में आवेदन भेजी जाएगी एवं आवेदनों की अस्वीकृति के अधिकार,केवल नियंत्रक कार्यालयों के पास ही रहेगी | परंतू उपरुक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होती है की यद्दपि इस दिशा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है, परंतू उपलब्धि आशाव्यांजक नही है, SPC , RSETI से यह आग्रह है की वें , इस विषय की MONITORING करें एवं अगर कोई बैंक शाखाओं के द्वारा SLBC की उपरुक्त निर्णय का अनुपालन नहीं हो रहा है,तो उन शाखाओं का जिलावार व बैंकवार सूची SLBC को उपलब्ध कराएँ , ताकि संवंधित नियंत्रकों से इस मुद्दे का निष्पादन करवाया जा सके |

वित्तीय साक्षरता केंद्र का संचालन

आर.बी.आई के निर्देशानुसार , विभिन्न जिला स्तर पर संचालित सभी अग्रणी बैंकों को प्रत्येक LDM कार्यालयों में, समयबद्ध ढंग से एक वित्तीय साक्षरता केन्द्र का स्तापना करना अनिवार्य है | आर.बी.आई द्वारा यह निर्देश भी दिया गया की सभी बैंको के ग्रामीण शाखायों को आबश्यक तौर पर F.L.C Camp का आयोजन करना है| इसके अलावा बैंक दूसरों स्थानों पर भी आवश्यकता आधारित वित्तीय साक्षरता केन्द्रो की स्थापना पर विचार कर सकते हैं | वर्तमान में 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्र)FLCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (**जिला स्तर पर (**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (प)एवं(पु) गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़	**10**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 16 केन्द्र

वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

जून ,2015 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

मार्च तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	577
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	1763
कुल	2340

कार्यक्रम सं	**10**
बैठक की तारीख	**12.08.15**
बैठक संख्या	**52**

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रहे हैं। पिछली बैठक की स्थिति नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां :

SN	**उप समिति के नाम**	**उप समिति के अध्यक्ष**	**उप समिति के अन्य सदस्यों में**	**संदर्भ की शर्तें**	**पिछली बैठक की तिथि**
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / (कृषि) सचिव GOJ संयोजक – नाबार्ड	1.प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त 2.प्रमुख सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग। 3. सचिव, वन विभाग। 4.नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5 (संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां ,केसीसी सहित 2) नई परियोजना/स्कीम 3) ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	**07.05.15**

S N	उप समिति के नाम	उप समिति के अध्यक्ष	उप समिति के अन्य सदस्यों में	संदर्भ की शर्तें	पिछली बैठक की तिथि
			7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां		
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1). प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 2 (भारतीय रिजर्व बैंक)विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम(3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5 (एक्जिम बैंक 6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)कृषि / हस्तकलाके निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारक	**06.07.15**
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह), GOJ संयोजक- एसबीआई	1) प्रमुख सचिव / सचिवगृह विभाग 2) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं	**07.08.15**

			3) प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 4) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी) आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	व्यवस्था की स्थिति के बारे नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा करें 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं /करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	

4.	सीडी अनुपात और एसीपी उपसमिति-	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव / सचिवसंस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4भारतीय स्टेट बैंक (5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9 (यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	06.07.15
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार के पास लंबित मुद्दें / बैंक। 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार)बैंक / सरकार)	**06.07.15**
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित सभी मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य	**02.02.15**

				सरकार से प्राप्त किया।	
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	**01.02.14*** दि:**03.07.15** को **RBI Empowered Com.on MSME** की बैठक बुलाया गया था
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव)शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र(	**27.03.15**
9	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव)ग्रामीण विकास(संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8)पी.एन.बी. 9)जे.जी.बी. 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**10.08.15**

कार्यक्रम सं.	**11**
बैठक की तिथि	**12.08.15**
बैठक सं.	**52**

विविध

1. Textile मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश के आलोक में, Handloom Weavers को ऋण वितरण में , सभी बैंकों के द्वारा अपेक्षित गति प्रदान हेतु , SLBC बैठक में उपयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है|

(प्रस्तावक- Textile मंत्रालय, भारत सरकार)

2. **Skill Development and Enterpreneurship मंत्रालय , भारत सरकार के द्वारा प्रवर्तित "Model Scheme for Skill Loan" की योजना को झारखण्ड में, सभी बैंकों के द्वारा लागु करवाने की संवंध में , SLBC बैठक में उपयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है |**

(प्रस्तावक - DFS ,MOF , GOI)

3. वित्तीय सेवा बिभाग , वित्त मंत्रालय,भारत सरकार की आदेश संख्या :1/19/2014-P & PW(E) ,dt. – 14.01.15 (COPY ATTACHED) के द्वारा प्रवर्तित , पेंशन खातों में , "जीवन-प्रमाण" (Digital Life Certificate) का लागु करवाना |

(प्रस्तावक - UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय ,रांची)

कार्यक्रम सं.	**12**
बैठक की तिथि	**12.08.15**
बैठक सं	**52**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

अगली एस.एल.बी.सी मीटिंग की तिथि :
9 नवम्बर , 2015